

# मध्यप्रदेश विधान सभा

292

नवम्बर - दिसम्बर, १९९६ अंक

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक ७ दिसम्बर, १९९६ (अग्रहायण १३, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन

### १. प्रश्नोत्तर

पृथक्कला विलिट सूची में सम्मिलित प्रश्न पुले जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

### २. पत्रों का पठल पर रखा जाना

(१) श्री सत्यवेद कटारे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री :-

(क) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सल्वाइंज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की २०वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष १९९३-९४, तथा

(ख) तेहर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, १९६२ की धारा ३१ की उपधारा (१) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भंडारण्युह निगम का उत्तर वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष १९९५-९६,

पठल पर रखेगे।

(२) श्री अशोक राव, पश्चालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, १९८२ की धारा २७ की उपधारा (उ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष १९९४-९५ पठल पर रखेगे।

### ३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, बच्चन नाथक, सदस्य, सामर जिले में छानबीला थाना प्रभारी व एक आरक्षक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(२) श्री अरुण बोरा, सदस्य, दुर्ग जिले के शिवानाथ नदी पर बने पुल की हालत जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

### ४. वर्ष १९९६-९७ के द्वितीय अनुप्रुक्त अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशान, वित्त मंत्री, वर्ष १९९६-९७ के द्वितीय अनुप्रुक्त अनुमान का उपस्थापन करेगे।

### ५. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री माधव सिंह धूब, राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक २५ सन् १९९६) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### ६. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

समय  
१ घन्टा  
उठायेंगे।  
प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न रिस्प्टि के संबंध में सर्वश्री बच्चन नाथक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्योथर), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. ढाल सिंह बिसेन, बनवारीलाल अग्रवाल, लक्ष्मीकान्त शर्मा, रमेश शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, वर्चा उठायेंगे।

भोपाल :  
दिनांक : ८ दिसम्बर, १९९६

अशोक चतुर्वेदी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा